

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2025—भाद्र 7, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जून 2025

क्रमांक ESTB/671/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 33/07/2025-EO(SM-I), दिनांक 28-05-2025 के तारतम्य में सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, श्रम विभाग एवं अति. प्रभार श्रमायुक्त, सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 अगस्त 2025

क्रमांक GENS/3519/2025-WCD.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/मबावि/50, दिनांक 26-11-2024 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत निम्न बाल देखरेख संस्थाओं को दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिये स्थायी पंजीयन/नवीनीकरण किया गया था.

राज्य शासन एतद्वारा उक्त संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 31 मार्च 2026 तक के लिए पंजीकृत/नवीनीकरण करता है :—

क्र.	जिला	जिला स्वैच्छिक संगठन/संस्था का नाम एवं पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	बाल देखरेख संस्था का पता	स्वीकृत क्षमता	पंजीयन क्र./रिमार्क
1.	मुंगेली	महाकौशल विकास समिति पता-अलखनंदा टावर के पास गोल चौक, रोहिणीपुरम रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)	बालगृह (बालक)	रामगढ़ मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)	50	01 MUNGELI/ 24.25 स्थायी पंजीयन
2.	दन्तेवाड़ा	अर्पणा कल्याण समिति पता-मॉ शारदा ट्रेवलस के पास, न्यु बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर (छ.ग.)	बालगृह (बालक)	हाईस्कूल रोड, जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)	50	07DNTWD/24-25 स्थायी पंजीयन
3.	दुर्ग	मदरसा अशरफिया कमेटी पता-कसारीडीह, वार्ड नं. 36 कसारीडीह, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	बालगृह (बालक)	अशरफिया गुप, नेकी की दीवार के सामने कसारीडीह, सिविल लाईन दुर्ग जिला दुर्ग	50	07DURG16.17 पंजीयन/ नवीनीकरण

शर्तें :—

- यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2026 तक के लिए वैध होगा.
- संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.
- संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा.
- संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

राजस्व विभाग**कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2025

क्रमांक 06/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बेलगहना	परसापानी प.ह.नं. 08	0.800	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	सतनाला व्यपवर्तन बांध निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 जून 2025

क्रमांक 09/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बेलगहना	आमामुड़ा प.ह.नं. 16	0.436	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	सतनाला व्यपवर्तन नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2025

क्रमांक/3808/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना प.ह.नं. 43	1219.30	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.)	शंकरनगर-खम्हारडीह- कचना मार्ग के चौड़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 28 जुलाई 2025

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
 - (ख) तहसील-पखांजूर
 - (ग) नगर/ग्राम-सत्यानंदपुर, प.ह.नं. 46
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर

क्रमांक/296/वा./भू.अ./प्र.क्र./202203141400006/अ-82/
2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
703	0.0329
708/2	0.0042
708/1	0.037
708/3	0.0069

(1)	(2)
701/1	0.045
701/2	0.117
योग	0.243
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड कोयलीबेड़ा अन्तर्गत पी.व्ही. 55 पम्प नं. 04 मार्ग निर्माण कार्य हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 23 जुलाई 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/9849/2025/202109050500004/
अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-सिल्ली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.8050 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
444/1	0.042

(1)	(2)
444/4	0.0432
630/3	0.0450
444/5	0.0368
598	0.018
630/1	0.0496
443/5	0.010
443/4	0.010
443/3	0.010
443/2	0.010
443/1	0.010
442/2	0.034
442/1	0.057
442/6	0.005
442/3	0.052
442/5	0.030
440	0.189
139	0.177
145	0.031
442/7	0.0094
600	0.165
630/5	0.046
630/2	0.048
630/4	0.046
138/1/ख/2	0.018
138/1/त्र	0.016
138/3	0.0294
153/4	0.003
196/1	0.048
194/1	0.082
628, 629	0.036
599/1	0.049
599/4	0.049
602/1	0.040
602/3	0.049
635/4	0.2112
योग	36
	1.8050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ए.डी.बी. परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21 जुलाई 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/3347.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6088-6089 नवा रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री सी.पी. नायक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संभागीय कार्यालय दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/ESTB-102(2)/182/2025/AGRI/14-1 नवा रायपुर, दिनांक 30-06-2025 द्वारा श्री सी.पी.नायक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संभागीय कार्यालय दुर्ग/भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) को प्रशासकीय आधार पर सहायक संचालक के पद पर क्षेत्रीय संचालक कृषि प्रभार एवं प्रशिक्षण संस्थान रूआबांधा दुर्ग जिला-दुर्ग किये जाने से उनके स्थान पर श्री बिरेन्द्र डहरिया, सहायक संचालक कृषि खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ में भारसाधक अधिकारी के पद पर नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री सी.पी. नायक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संभागीय कार्यालय दुर्ग/भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री बिरेन्द्र डहरिया, सहायक संचालक कृषि खैरागढ़ जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) को आगामी आदेश तक कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/3494.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2024-25/4491-4492 नवा रायपुर, दिनांक 16-10-2024 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संभागीय कार्यालय दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/ESTB-102(3)/226/2025/O/O JOINT DIR नवा रायपुर, दिनांक 30-06-2025 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कवर्धा/भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को प्रशासकीय आधार पर उप संचालक कृषि दुर्ग किये जाने से उनके स्थान पर श्री लाल सिंह जभरे, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी विकासखण्ड पंडरिया, जिला कबीरधाम, को कृषि उपज मंडी समिति पंडरिया में भारसाधक अधिकारी के पद पर नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री नरेन्द्र कुमार नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कवर्धा/भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री लाल सिंह जभरे, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी विकासखण्ड पंडरिया, जिला कबीरधाम, (छ.ग.) को आगामी आदेश तक कृषि उपज मंडी समिति पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवनी,
संचालक.

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17 जुलाई 2025

क्रमांक 1344/स्था/छगरासूआ/25.—राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17-07-2025 को समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री अतुल कुमार वर्मा, अनुभाग अधिकारी को उपयुक्त पाये जाने पर उनको वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (67300-213100) में पदोन्नत करते हुए आयोग में रिक्त अवर सचिव के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2. पदोन्नत अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पद ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
3. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश की तिथि से एक माह के भीतर देना होगा। इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा। निर्धारित समय के भीतर विकल्प प्राप्त नहीं होने पर नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण कर दिया जायेगा।
4. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन रिट पिटीशन क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 1811/2019 में माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अध्याधीन होगा।

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17 जुलाई 2025

क्रमांक 1346/स्था/छगरासूआ/25.—राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17-07-2025 को समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री फहीम अहमद खान, सहायक ग्रेड-01 को उपयुक्त पाये जाने पर उनको वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (43200-136500) में पदोन्नत करते हुए आयोग में रिक्त अनुभाग अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2. पदोन्नत अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पद ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
3. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश की तिथि से एक माह के भीतर देना होगा। इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा। निर्धारित समय के भीतर विकल्प प्राप्त नहीं होने पर नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण कर दिया जायेगा।

नीलम नामदेव एक्का,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2025

क्रमांक 375/दो-3-30/2008.—श्री मो. रिजवान खान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) (छ.ग.) दिनांक 30-06-2025 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 269 (दो सौ उनहत्तर) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 एवं संशोधन आदेश क्रमांक 1748/2335/XXI-B/C.G./24 दिनांक 25-07-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2025

क्रमांक 405/दो-2-28/2022.—श्रीमती गीता नेवारे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) दिनांक 31-07-2025 की अपरान्ह में सेवानिवृत्ति पर उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 298 (दो सौ अट्ठानवे) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/ PS LAW/89/XXI-B/ C.G./24 दिनांक 16-02-2024 एवं संशोधन आदेश क्रमांक 1748/2335/XXI-B/C.G./24 दिनांक 25-07-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2025

क्रमांक 374/दो-3-26/2012.—श्री विनोद कुमार देवांगन, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-07-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, बजट अधिकारी.